न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 2021/50

1. छीतर पुत्र मोहन, जाति कुमावत, निवासी पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती जीया देवी पत्नि घासी, जाति कुमावत, निवासी पीसांगन, जिला अजमेर ।
2. विमला पुत्री घासी, जाति कुमावत, निवासी पीसांनग, जिला अजमेर ।
3. माया पुत्री घासी नाबालिग,
4. पटुडी पुत्री घासी नाबालिग,
5. मोरिया पुत्री घासी नाबालिग,
6. चान्दा पुत्री घासी नाबालिग,
   उपरोक्त सभी नाबालिगान प्राकृतिक सरंक्षक जरिये माता श्रीमती जीया, देवी जाति कुमावत, निवासी पीसांगन, जिला अजमेर ।
7. शौकत अली पुत्र स्व0 बाबूस्या पौत्र स्व0 जमाल अस्वस्थ (मस्तिष्क जरिये सरंक्षक पुत्र) शेरू पुत्र शौकत अली हाल निवासी पिचौलिया, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
8. लालस्या पुत्र स्व0 बाबूस्या पौत्र स्व0 जमाल,
9. इकबालस्या पुत्र स्व0 बाबूस्या पौत्र स्व0 जमाल,
10. राजूस्या पुत्र स्व0 बाबूस्या पौत्र स्व0 जमाल,
    उपरोक्त सभी रेस्पो0/अप्रार्थीगण संख्या 7 से 10 जाति मुसलमान, निवासी पीसांगन, जिला अजमेर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।
12. मुगना पुत्र भवरू, जाति कुमावत, निवासी पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 22.1.2021 अंतर्गत प्रकरण संख्या 79/2018.

उपस्थितः—

1. श्री सी0पी0 शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6.
3. श्री नौरतमल जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 7 से 10.
4. रेस्पो0 संख्या 12 अनुपस्थित ।
5. श्री विकास पाराशर, वकील रेस्पो0 संख्या 11.

निर्णय

दिनांकः— 18.10.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय दिनांक 22.1.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2. प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1055 के तहत अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए रास्ते के संबंध में प्रस्तुत किया जिसे दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री रूपचंद चौधरी ने वकालतनामा पेश किया और तहसीलदार, पीसांगन से मौका रिपोर्ट तलब की गई जो शामिल मिसल की गई तथा अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट के विरूद्ध अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया । इसके उपरांत आपत्ति पर बहस सुनी गई और प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए स्वंय अधी0न्याया0 ने मौका निरीक्षण करने का आदेश दिनांक 22.10.2019 का मौका निरीक्षण करने हेतु दिन में 11 बजे का समय तय किया । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने मौका निरीक्षण कर दिनांक 22.1.2021 को निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश में स्वंय स्वीकार किया है कि तहसीलदार, पीसांगन से प्राप्त मौका रिपोर्ट की पैरा संख्या 5 में वादग्रस्त आराजी तक पहुंचने हेतु कदीमी रास्ता उपलब्ध है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में व नक्शा ट्रेस में तरमीमशुदा नहीं है ना ही गैर–मुमकीन रास्ता दर्ज है बल्कि उपरोक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियों में से प्रार्थी के खेत तक है जिसे कीमतन रास्ते के रूप में उपयोग के लिए राजस्व अभिलेख जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के लिए ही आवेदन पेश किया था जिसे अधी0न्याया0 ने केवल यह कथन करते हुए कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है खारिज कर दिया जो विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर कहीं पर भी यह साक्ष्य, सबूत रिकार्ड पर नहीं है कि प्रार्थी/अपीलांट के पास अपनी खातेदारी की भूमि में जाने के लिए प्रस्तावित एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताये गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है । तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट की मद संख्या 5 में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 4510 में आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं होने से प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है । तहसीलदार ने अपीलांट को आवागमन के लिऐ जो रास्ता तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित किया है उसकी दूरी 22 मीटर बताई है जो खसरा नंबर 4527 तक है जबकि प्रार्थी के खसरा नंबर 4510 में आवागमन के लिए पीसांगन से मांगलियावास की मुख्य सड़क डामर रोड़ से खसरा नंबर 4497 से दूरी 90 मीटर है । अतः प्रस्तावित रास्ता दिये जाने के कथन रिपोर्ट में किये है । अधी0न्याया0 ने स्वंय मौके पर जाकर निरीक्षण किया और स्वंय ने भी मौका रिपोर्ट तैयार की जिसमें भी स्पष्ट कथन किये है कि प्रार्थी के जवाब में पेश कथित रास्ते मौके पर कोई रास्ते नहीं पाये गये इसके उपरांत भी प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने विधिक प्रावधानों का अवलोकन किये बिना ही प्रस्तुत नजीरों को ना मानने का कोई भी न्यायसंगत कारण अपने आदेश में उल्लेखित किये बिना विधिविरूद्ध प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिससे अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा

प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया जाकर अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 510 वाके ग्राम पीसांगन में स्थित कृषि भूमि में रास्ते के उपयोग के लिए 15 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 4505 की उत्तरी सीमा से लेकर गैर मुमकिन सड़क खसरा नंबर 4489, 4490, 4491 की भूमि से होकर नया रास्ता के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट की आराजी में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता है जो राजस्व नक्शे में दर्शाया गया है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब कर विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 7 से 10 ने बह समें कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । प्रार्थी की आराजी में आवागमन हेतु पूर्व से वैकल्पिक रास्ता मौजूद है । खसरा संख्या 510 एवं 4505 की भूमि से लगते हुए खेत खसरा नंबर 4507, 4527, 4510 एवं 4509 की भूमि भी वर्तमान जमाबंदी के अनुसार आवेदनकर्ता छीतर पुत्र मोहन की खातेदारी की भूमि दर्ज है से लगती हुई खसरा संख्या 4510 एवं 4505 की भूमि है, इस प्रकार प्रार्थी के आवागमन हेतु सुलभ रास्ता जो कि पी. डब्ल्यू. डी की सड़क से लगता हुआ रास्ता खसरा नंबर 136, 135, 134, 133, 132 एवं 131 जो कि वर्तमान राजस्व नक्शे में रास्ता है से होता हुआ खसरा नंबर 4510 एवं 4507 पर उपलब्ध है जो कि वर्तमान राजस्व नक्शे में भी अंकित है । इसी रास्ते से प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि पर आने जाने का रास्ता कदीम समय से चला आ रहा है । अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट ने स्वंय की खातेदारी आराजियात खसरा नंबर 4510 रकबा 3.48 है0 एवं खसरा नंबर 4505 रकबा 2.17 है0 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4505/5332 रकबा 0.82 है0 एवं अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 10 के दादा के नाम की खसरा संख्या 4497 रकबा 1.15 है, के पश्चिम दिशा या पूर्वी दिशा की सीमा पर से प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 4510 व खसरा संख्या 4505 की उत्तरी सीमा से लेकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज गै0मु0 सड़क खसरा संख्या 4489, 4490, 4491 तक का लम्बाई 15 फुट चौड़ा कीमतन नया रास्ता का अनुतोष चाहा है । उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण के अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होने पर अधी0न्याया0 ने तहसीलदार, पीसांगन से रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब की है । तहसीलदार ने प्रथम मौका रिपोर्ट दिनांक 3.1.2019 अधी0न्याया0 को प्रेषित की । अप्रार्थीगण संख्या 7 से 10 ने उक्त मौका रिपोर्ट बाबत् आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके पैरा संख्या 2 में कथन किया कि " खसरा संख्या 4510 व 4505 की भूमि के लगते हुए खेत खसरा नंबर 4507, 4527, 4510 एवं 4509 की भूमि भी वर्तमान जमाबंदी के अनुसार आवेदनकर्ता संख्या 1 छीतर पुत्र मोहन की खातेदारी की भूमि दर्ज है, से लगती हुई खसरा संख्या 4510 एवं 4505 की भूमि है । इस प्रकार आवेदनकर्तागण के आवागमन हेतु सुलभ रास्ता जो कि पी0डब्ल्यू0डी की सड़क से लगता हुआ रास्ता खसरा संख्या 136, 135, 134, 133, 132 एवं 131 जो कि वर्तमान राजस्व नक्शे में रास्ता है से होता हुआ खसरा नंबर 4510 व 4507 पर आवागमन का सुलभ रास्ता है । इसी रास्ते से आवेदनकर्तागण वर्णित भूमि पर आने जाने का रास्ता कदीमी समय से चला आया है ।"

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तत्पश्चात् अधी0न्याया0 के समक्ष तहसीलदार, पीसांगन द्वारा दिनाक 18.12.2020 को पुनः मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई है । उक्त मौका रिपोर्ट के पैरा संख्या 5 में अंकित किया है कि " ग्राम पीसांगन के खसरा नंबर 4510 व 4505 पर वर्तमान में आवागमन हेतु रिकार्ड व मौका के अनुसार कोई रास्ता नहीं होने से आत्यंतिक आवश्यकता है । परन्तु उक्त खसरा नंबरों पर 4411, 4576/4943, 4577, 4578, 4578/4842, 4578/4843 खातेदारी खसरा नंबर व सिवायचक खसरा नंबर 4527 है एवं उक्त रास्ता मौके पर कच्चा व ग्रेवल सड़क के रूप में है । पीसांगन से मांगलियावास डामर सड़क से खसरा नंबर 4497 से प्रार्थी मगना पि0 भंवरू कुमावत की सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 4505 की दूरी 90 मीटर है । " धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि खातेदार की आराजियात में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होने पर ही रास्ते का अनुतोष प्रदान किया जा सकता है किन्तु हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के पैरा संख्या 5 से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजियात में आवागमन हेतु पूर्व ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अपीलांट को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होना नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में अपीलांट का प्रार्थन पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है ।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.1.2021 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर